



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062026-273720  
CG-DL-E-22062026-273720

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3171]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2026/आषाढ 1, 1948

No. 3171]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2026/ASHADHA 1, 1948

इस्पात मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 20 जून, 2026

का.आ. 3300(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार की राय है कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 को संशोधित करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और लागू होना - (1) इस आदेश को इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2026 कहा जाएगा।

(2) यह शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की निर्दिष्ट तारीख से लागू होगा।

2. इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 में -

(1) अनुसूची 1 में, क्रम संख्या 23 और 129 पर आईएस संख्या और आईएस शीर्षक का प्रवर्तन और उनसे संबंधित प्रविष्टियां राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए लागू नहीं होंगी।

- (2) अनुसूची 1 में, क्रम संख्या 51, 52 और 53 पर आईएस संख्या और आईएस शीर्षक का प्रवर्तन और उनसे संबंधित प्रविष्टियां राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 31 मार्च 2027 तक की अवधि के लिए लागू नहीं होंगी।

[फा. सं. एस-20011/33/2025-तकनीकी]

अभिजीत नरेन्द्र, संयुक्त सचिव

नोट: इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I-खण्ड 3(ii), का.आ. 3716 (अ), दिनांक 29 अगस्त, 2024 के तहत प्रकाशित किया गया था।

## MINISTRY OF STEEL

### ORDER

New Delhi, the 20th June, 2026

**S.O. 3300(E).**— In exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, after consulting the Bureau of Indian Standards hereby makes the following order to amend the Steel and Steel Products (Quality Control) Order, 2024, namely: -

1. **Short title and commencement.** - (1) This order may be called the Steel and Steel Products (Quality Control) Amendment Order, 2026.  
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Steel and Steel Products (Quality Control) Order, 2024, -
  - (a) in Schedule 1, enforcement of IS Number and IS Title at serial numbers 23 and 129 and the entries relating thereto shall not be operative for a period of 3 years from date of publication in the gazette.
  - (b) in schedule 1, enforcement of IS Number and IS Title at serial numbers 51, 52 and 53 and the entries relating thereto shall not be operative for a period up to 31st March, 2027 from date of publication in the gazette.

[F. No. S-20011/33/2025-TECH]

ABHIJIT NARENDRA, Jt. Secy.

Note: The Steel and Steel Products (Quality Control) Order, 2024 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 30<sup>th</sup> August, 2024 vide number S.O. 3716 (E), dated the 29th August, 2024.